

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/16/2022	2022/60	25-07-2022	12-07-2023
01- नगर विकास न्यास अलवर जयें सचिव/सचिव नगर विकास न्यास अलवर (राजस्थान) - अपीलान्ट			

## बनाम

01- प्रभू पुत्र बिरजू जाति गुर्जर निवासी ग्राम कमालपुर तहसील रामगढ जिला अलवर  
(राजस्थान)



- रेषपोडेन्ट

अपील विरुद्ध आज्ञा तहसीलदार रामगढ दिनांक  
24.09.2021 (दर्ज दिनांक 22.09.2021)  
नामान्तकरण संख्या 106 वाके ग्राम कमालपुर  
तहसील रामगढ जिला अलवर।

उपस्थित  
01-श्री अशोक शर्मा  
02-श्री तेजसिंह चौधरी

-वकील अपीलान्ट  
-वकील रेषपोडेन्ट

## :-निर्णय:-


अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार रामगढ के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.09.2021 (दर्ज दिनांक 22.09.2021) बाबत नामान्तकरण संख्या 106 वाके ग्राम कमालपुर तहसील रामगढ जिला अलवर। जिसके द्वारा नामान्तकरण में वर्णित विवादित आराजीयात को रेषपोडेन्ट के पक्ष में नामान्तकरण दर्ज कर स्वीकार किया गया है। से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेषपोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि अपीलान्तीन नामान्तकरण में वर्णित आराजी खसरा न0 215, 255, 256, 299, 300 किता 5 कुल रकबा 2.8100 है0 वाके ग्राम कमालपुर तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित है, उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में पूर्व में अपीलान्ट नगर विकास न्यास अलवर के नाम दर्ज रिकार्ड थी, तहत अदालत तहसीलदार के द्वारा मुताबिक न्यायालय के आदेश से नामान्तकरण दर्ज कर निमित्त किया गया है, किन्तु आदेश किस न्यायालय का है, व किस उनवानी प्रकरण का/किस दिनांक का आदेश है, यह कही नामान्तकरण पर अंकित नहीं किया गया है। विवादित आराजीयात सिवायचक भूमि है, जो कि शहरी परिक्षेत्र में स्थित सिवायचक व नजूल भूमि होने के कारण नगर विकास न्यास अलवर में निहित हो जाती है, और बाद अधिसूचना ऐसी आराजी का निस्तारण बिना नगर विकास न्यास अलवर को सुने नहीं किया जा सकता है। नामान्तकरण संख्या 106 वाके ग्राम कमालपुर निर्णय दिनांक 24.09.2021 (दर्ज दिनांक 22.09.2021) में वर्णित आराजीयात पूर्व में सिवायचक भूमि रही है, ऐसी स्थिति में कानूनन सिवायचक भूमि की खातेदारी किसी भी प्रावधान के तहत किसी भी व्यक्ति विशेष को प्रदान नहीं की जा सकती है। राजस्थान सरकार नगरीय विकास विभाग जयपुर की अधिसूचना क्रमांक प.10(23) न.वि.वि./3/10 दिनांक 13.10.2011 राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये

  
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)  
अलवर (राज०)

राज्य सरकार मुख्य नगर नियोजक (एन.सी.आर.) जयपुर को अलवर के नगरीय क्षेत्र जिरामें तहसील अलवर के 76 राजस्व ग्रामों एवं तहसील रामगढ के 10 राजस्व ग्रामों को शामिल किया गया और उनका सिविल सर्वे करने एवं मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त किया गया। इस अधिसूचना के बाद सिवायचक भूमि धारा 43 नगर विकास न्यास अधिनियम एवं धारा 102 लेण्ड रेवन्यू एक्ट के अधीन न्यास में निहित हो चुके हैं, उपरोक्त अधिसूचना के तहत इन्तकाल आराजी के संबंध में जिला कलक्टर अलवर द्वारा पत्र क्रमांक राजस्व/12/9902-13 दिनांक 31.10.2012 के द्वारा अलवर जिले के विभिन्न उपखण्डों के क्षेत्राधिकार में आने वाले राजस्व ग्रामों में भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये जनोपयोगी प्रयोजनार्थ राजकीय कार्यालयों एवं केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत भूमि आवंटन हेतु भूमि आरक्षित करने के लिये भूमि चिन्हीकरण कर उसके प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने के आदेश जारी किये थे, तथा तहसीलदार थानागाजी / राजगढ / लक्ष्मणगढ / कटूमर / किशनगढवास / रामगढ / वानसूर / अलवर / वहरौड / मुण्डावर / कोटकासिम / तिजारा को निर्देशित किया गया था, कि प्रस्तावित योजनाओं हेतु चिन्हीत आरक्षित भूमि को छोड़कर शेष समस्त सिवायचक भूमि (प्रतिबंधित भूमियों को छोड़कर) स्थानीय निकायों में सम्मिलित राजस्व ग्रामों की भूमि को दिनांक 31.10.2012 को हस्तान्तरण करना सुनिश्चित करते हुये दिनांक 31.10.2012 को ही अनुपालना रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करे। जिस पर नियमानुसार कार्यवाही कर नामान्तकरण जेर अपील मिन अप्रार्थी न्यास के पक्ष में विधिवत दर्ज कर स्वीकार हुआ था। किन्तु तहत अदालत के द्वारा विवादित निर्णय करने से पूर्व मिन अपीलान्त को न तो सुनवाई हेतु कोई नोटिस जारी किया गया, न ही सुनवाई का समुचित अवसर ही दिया गया। विवादित निर्णय अपीलान्त की अनुपस्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर पारित किया गया है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय 24.09.2021 (दर्ज दिनांक 22.09.2021) की जानकारी मिन अपीलान्त को दिनांक 15.07.2022 को हुयी, जिस पर दिनांक 16.07.2022 को नामान्तकरण की नकल प्राप्त करने हेतु पेश किया गया जो नकल उसी दिन सायंकाल को प्राप्त हुयी। जिस पर कानूनी सलाह प्राप्त कर बिना देरी किये यह पेश की गयी है। जानकारी की दिनांक 15.07.2022 से मामुलन अन्दर अवधि प्रस्तुत है। इस तरह अपील विलंब से पेश किये जाने में मिन अपीलान्त की कोई गलती व लापरवाही किसी तरह की नहीं रही है, तथा देरी का समय नेकनियति पर आधारित होने से काबिले माफ व मियाद में मुजरा दिये जाने योग्य है। इस हेतु पृथक से प्रार्थना पत्र दफा 05 कानून मियाद अधिनियम का पेश कर निवेदन किया है, कि अपील अपीलान्त अन्दर मियाद शुमार की जाकर, अपील अपीलान्त स्वीकार फरमायी जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय नामान्तकरण संख्या 106 निर्णय 24.09.2021 (दर्ज दिनांक 22.09.2021) वाके ग्राम कमालपुर तहसील रामगढ निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील रेस्पोजेन्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को नकारते हुए निवेदन किया है, कि न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर अलवर के निर्णय दिनांक 18.03.2021 से असन्तुष्ट होकर न्यायालय संभागीय आयुक्त के यहाँ अपील पेश की गयी थी, जिस तत्कालीन अपील में रेस्पोजेन्ट नगर विकास न्यास अलवर द्वारा जवाब पेश कर बहस की गयी। तत्पश्चात ही न्यायालय द्वारा अपील का निर्णय दिनांक 24.08.2021 को किया गया। जिससे भी स्पष्ट है, कि अपीलान्त को उक्त निर्णय की बखूबी जानकारी थी, जानकारी होते हुये भी अपीलान्त द्वारा उक्त अपील मियाद बाहर पेश की गयी है। जो मियाद के बिन्दू पर ही अपील अपीलान्त खारिज किये जाने योग्य है। उक्त आराजी के बाबत पूर्व में ही न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ द्वारा दिनांक 14.10.2010 को ही निर्णय पारित कर रेस्पोजेन्ट को सूचित किया जा चुका है। उक्त आराजीयात पर रेस्पोजेन्ट अपने बुर्जगान के समय से ही अरसे दराज से यानि बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1958 के लागू होने के दिन से अब तक मिन रेस्पोजेन्ट के कब्जे काश्त में चली आ रही है, और मौके पर आज भी



2-4  
प्रतिवेदक जिला कलक्टर (प्रथम)  
अलवर (राज०)

रेस्पोजेन्ट का काबिज रह कर काशत करता चला आ रहा है। नामान्तकरण में वर्णित आराजीयात से अपीलान्त को कोई वारता नहीं है, अपील अपीलान्त खारिज की जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दरतावेजो का अवलोकन किया गया एवं वकील अपीलाण्टान/रेस्पोजेन्ट की बहारा पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानूनी मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। अपीलान्त ने अपीलाधीन आदेश 24.09.2021 (दर्ज दिनांक 22.09.2021) बाबत नामान्तकरण संख्या 106 वाके ग्राम कमालपुर तहसील रामगढ जिला अलवर। के विरुद्ध यह अपील न्यायालय हाजा को दिनांक 25.07.2022 को पेश की गयी है, जो करीब 10 माह पश्चात विलम्ब से पेश की गयी है। विलम्ब की अवधि असाधारण नहीं है, अपीलान्त ने अपील विलम्ब से पेश की है, तथा विलम्ब का कोई युक्तियुक्त कारण भी पेश नहीं किया अपील किये जाने में हुये विलम्ब को कण्डोन कराने हेतु दिन-प्रतिदिन का कारण स्पष्ट करना होता है, जो अपीलान्त द्वारा प्रार्थना-पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम में स्पष्ट नहीं किया गया है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.09.2021 (दर्ज दिनांक 22.09.2021) की सर्वप्रथम जानकारी अपीलान्त को दिनांक 15.07.2022 को होना अंकित किया है, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः अपील अपीलाण्टान अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्त का मुख्य कथन है, कि अपीलाधीन नामान्तकरण में वर्णित आराजी खसरा न0 215, 255, 256, 299, 300 किता 5 कुल रकबा 2.8100 है0 वाके ग्राम कमालपुर तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित है, उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में पूर्व में अपीलान्त नगर विकास न्यास अलवर के नाम दर्ज रिकार्ड थी, तहत अदालत तहसीलदार के द्वारा मुताबिक न्यायालय के आदेश से नामान्तकरण दर्ज कर निणित किया गया है, वकील रेस्पोजेन्ट का कथन है, कि न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर अलवर के निर्णय दिनांक 18.03.2021 से असन्तुष्ट होकर न्यायालय संभागीय आयुक्त के यहाँ अपील पेश की गयी थी, जिस तत्कालीन अपील में रेस्पोजेन्ट नगर विकास न्यास अलवर द्वारा जवाब पेश कर बहस की गयी तत्पश्चात ही न्यायालय द्वारा अपील का निर्णय दिनांक 24.08.2021 को किया गया। वकील अपीलान्त द्वारा यह अपील तहसीलदार रामगढ के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.09.2021 (दर्ज दिनांक 22.09.2021) बाबत नामान्तकरण संख्या 106 वाके ग्राम कमालपुर तहसील रामगढ जिला अलवर। जिसके द्वारा नामान्तकरण में वर्णित विवादित आराजीयात को रेस्पोजेन्ट के पक्ष में नामान्तकरण दर्ज कर स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। किन्तु वकील अपीलान्त द्वारा तहसीलदार रामगढ को अपील में पक्षकार नहीं बनाया गया है, ऐसी स्थिति में पक्षकार को सुने बिना निर्णय पारित किया जाना उचित नहीं समझते हैं। विधिक प्रावधानानुसार किसी भी प्रचलित आदेश को चैलेज किये जानने हेतु सक्षम न्यायालय में पक्षकार बनाया जाकर विधिवत कार्यवाही कर निर्णय पारित किये जाने का प्रावधान है। जिससे अभाव में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त खारिज की जाती है, तथा तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.09.2021 (दर्ज दिनांक 22.09.2021) बाबत नामान्तकरण संख्या 106 वाके ग्राम कमालपुर तहसील रामगढ जिला अलवर यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ वापिस भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 12.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुनाया गया।

(उत्तम सिंह शेखावत)  
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)  
अलवर, (राजो)

